कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास एवं जन कल्याण को बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रदेश बनेगा शिक्षा हब

- समाज कल्याण के लिए 668 करोड़ रुपये का प्रावधान
- गरीबों के लिए 9000 नये मकानों के निर्माण का प्रावधान
- ग्रामीण विद्या उपासक योजना पुन: लागू

- जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत 243 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पेयजल आपूर्ति के लिए 182 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सड़कों के लिए योजना परिव्यय में 58 प्रतिशत की वृद्धि

मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि पंचायत सहायकों के प्रोत्साहन के लिए उनकी 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा उपरान्त उन्हें पंचायत सचिव पदनामित किया जायेगा। हमारी सरकार ने सभी ग्राम रोज़गार सेवकों तथा तकनीकी सहायकों का न्यूनतम सेवा शुल्क क्रमश: 1500 रुपये व 2500 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।

हमारी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 75 रुपये से 100 रुपये किया था। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण बेरोज़गारों द्वारा अर्जित की जाने वाली सम्भावित वार्षिक मजदूरी 7500 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गयी। यह घोषित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि अगले वित्त वर्ष में हमारी सरकार कृषि न्यूनतम मजदूरी में 10 प्रतिशत की और वृद्धि करेगी। इससे हमारे ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष 11,000 रुपये की आमदनी अर्जित कर पायेंगे।

हमारी सरकार गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं के प्रति अत्याधिक चिंतित है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि 'इंदिरा आवास योजना' तथा 'अटल आवास योजना' के अन्तर्गत विशेष बजट प्रावधान के परिणामस्वरूप आगामी वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग, लगभग 9000 नए मकानों के निर्माण तथा 900 पुराने मकानों की मुरम्मत के लिए सहायता प्रदान करेंगे। इससे हमारी ग्रामीण जनता तथा अनुसूचित जाति के परिवार बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे।

'संपूर्ण स्वच्छता अभियान' के अन्तर्गत हमने मार्च 2010 तक सभी पंचायतों को 'खुले में शौच मुक्त' करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग, सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए शत-प्रतिशत शौचालय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे।

विद्युत उत्पादन

अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हिमाचल का आर्थिक भविष्य प्रदेश के 20,564 मेगावाट जल-विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन पर निर्भर है। वर्तमान वित्त वर्ष में हमारी सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं के निविदा मापदण्डों में बदलाव किया है। अत: 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत नि:शुल्क बिजली 'रॉयल्टी' प्राप्ति के बजाए, अब बिजली उत्पादक 12 से 26 प्रतिशत तक अतिरिक्त नि:शुल्क बिजली 'रॉयल्टी' अदा करेंगे। अर्थात, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के आधार पर निजी क्षेत्र के अनेक बिजली उत्पादक राज्य सरकार को नि:शुल्क बिजली प्रदान करेंगे, जिसकी दर पहले 12 वर्षों में उत्पादित बिजली का 24 से 38 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों में 30 से 44 प्रतिशत तथा परियोजना के अन्तिम 10 वर्षों में 42 से 56 प्रतिशत होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने 20 लाख रूपये प्रति मेगावाट की दर से 'अपफ्रंट प्रिमीयम' भी लिया है, जिससे चालू वित्त वर्ष में सरकार को 600 करोड़ रुपये से भी अधिक आय होने की आशा है। इस प्रकार, हमने न केवल चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जुटाए हैं, बल्कि अगले 50 वर्षों से भी ज्यादा अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हितों की रक्षा की है। हमारी सरकार द्वारा तैयार की गई यह पारदर्शी स्पर्धात्मक निविदा पद्धति सुशासन तथा वित्तीय विवेक के प्रति हमारी सरकार की वचनबद्धता का प्रतीक है। पर्यावरण रक्षा, ऊर्जा बचत और राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की हमारी वचनबद्धता के दृष्टिगत सरकार ने इसी वित्त वर्ष में 'अटल बिजली बचत योजना' प्रारम्भ की है। लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से हमने राज्य के प्रत्येक घर को 4 'सी0एफ0एल0 बल्ब' मुफ्त वितरित किए हैं।

वर्तमान वित्त वर्ष में हमारी सरकार ने 'एशियन डवैल्पमैन्ट बैंक' से 4000 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज प्राप्त किया है। जिससे हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद् 800 मेगावाट से अधिक की विद्युत परियोजनाएं स्थापित करेगा। 'ए0डी0बी0' से प्राप्त वित्तीय सहायता का 90 प्रतिशत प्रदेश सरकार को सीधे अनुदान के रूप में मिलेगा। यह हमारे प्रदेश की भावी समृद्धि के सशक्तिकरण हेतु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक है। लगभग 1000 मेगावाट की कुल क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को सौंपी गई हैं। इनमें से 5 परियोजनाओं के प्रमुख घटकों पर आगामी वित्त वर्ष में कार्य आरम्भ हो जाएगा। ये परियोजनाएं सम्भवत: 2013 तक मुकम्मल हो जाएंगी, जिससे राज्य सरकार को 1800 करोड़ रुपये की वार्षिक आमदनी होगी।

हमारी सरकार ने तैयार बिजली के संग्रहण तथा संचारण को सुदृढ़ करने के लिए 27 अगस्त, 2008 को एक अलग संचारण निगम का भी गठन किया है। निगम ऊर्जा संग्रहण तथा संचारण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लगभग 4500 करोड़ रुपये का एक विस्तृत 'मास्टर प्लान' तैयार कर रहा है। इन संचारण परियोजनाओं के लिए बाह्य वित्त पोषण तथा आर0ई0सी0 (REC) और नाबार्ड से ऋण प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है।

हमने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम की निर्माणाधीन 100 मैगावाट ऊहल जल विद्युत परियोजना को गति प्रदान की है, जो 2010 के अन्त तक तैयार हो जाएगी। हमारी सरकार ने हिमऊर्जा की माली हालत सुदृढ़ करने के लिए 5 मेगावाट से कम क्षमता वाली कुछ छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को इस संगठन के लिए आरक्षित रखने की पहल की है। इस प्रकार लगभग 100 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाएं हिमऊर्जा के स्वामित्व में हो जाएंगी, जिससे हिमऊर्जा प्रतिवर्ष 150 करोड़ रूपये से भी ज़्यादा के आन्तरिक संसाधन जुटा पायेगा।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए रेखांकित सभी उपायों को सहायता प्रदान करने के लिए आगामी वित्त वर्ष में मैं 355 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ, जो अगले वित्त वर्ष के योजना परिव्यय का 13 प्रतिशत है।

सड़क निर्माण को प्राथमिकता

रेल परिवहन के अभाव में सड़कें प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। सड़कों की बहाली तथा मुरम्मत कार्यों के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने हेतु हम केन्द्र सरकार से बार-बार अनुरोध करते रहे हैं। यह अफ़सोसजनक है कि केन्द्र सरकार ने हमारे निवेदनों के महत्त्व को पूरी तरह नहीं समझा। उपरोक्त तथ्य के दृष्टिगत तथा गहन विचार-विमर्श के पश्चात्, हमारी सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सड़कों को उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इस मान्य सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि सड़कों के लिए इस वित्त वर्ष के 304 करोड़ के मुकाबले, हमने 176 करोड़ की वृद्धि कर 2009-10 में 480 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया है। यह अगले वित्त वर्ष में सड़कों और पुलों के लिए 58 प्रतिशत की वृद्धि है। परिवहन क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय पूर्ण योजना आकार का 20 प्रतिशत से भी अधिक है। परिव्यय में यह वृद्धि चालू विश्व बैंक सड़क परियोजना, माननीय विधायकों की 'आर0आई0डी0एफ0' प्राथमिकताओं तथा विद्यमान सड़क नेटवर्क के रख-रखाव की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु की गई है।

राष्ट्रीय मापदण्डों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में सड़कों की सघनता राष्ट्रीय औसत से लगभग आधी है। हमारे लगभग 50 प्रतिशत गांव अभी भी सड़कों से जोड़े जाने हैं। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि हमें सड़क नेटवर्क निर्माण तथा रख-रखाव को न केवल अगली वार्षिक योजना में अपितु सालों-साल प्राथमिकता देनी होगी। आगामी वर्ष में 500 से ऊपर जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। "प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना" के अन्तर्गत हमने 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 310 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, 822 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु 221 परियोजनाएं केन्द्र सरकार को भेजी हैं। हमारी सरकार ने वर्ष 2012 तक 250 से अधिक की जनसंख्या के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

सड़क नेटवर्क विस्तार के साथ-साथ जनता की लगातार मांग रही है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में विस्तार किया जाए। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने एक नयी योजना लागू की है। हमने बेरोज़गार युवाओं को पथकर अदायगी बिना, ग्रामीण सड़कों पर बस तथा छोटी 'मैक्सी कैब' गाड़ियां चलाने की अनुमति दी है। हमारी सरकार का इरादा है कि नज़दीकी खण्ड मुख्यालयों/ 'नोटिफाईड एरिया कमेटियों' को गांव से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों की रूट परमिट आबंटन प्रक्रिया को और उदार बनाया जाए। इस प्रकार हम 'हब तथा स्पोक ट्रांस्पोरटेशन मॉडल' प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिससे सभी गांवों और शहरों के बीच पर्याप्त परिवहन सेवाओं के लिए निजी-सार्वजनिक सहभागिता बढ़े। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु हमारी सरकार ने ग्रामीण सड़कों पर सभी 'बस रूट' के लिए पथकर में छूट देने का निर्णय लिया है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम हेतु अगले वित्त वर्ष में 43 करोड़ रुपये की योजना सहायता की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है। यह वर्तमान वित्त वर्ष के प्रावधान से 30 प्रतिशत की वृद्धि है और इससे हिमाचल पथ परिवहन निगम 300 पुरानी बसें बदलेगा। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अगले वर्ष जसूर में एक 'ड्राईविंग स्कूल' आरम्भ किया जाएगा। अगस्त, 2009 तक शिमला का अन्तर्राज्य बस अड्डा चालू कर दिया जाएगा तथा अर्की, आनी, सुन्दरनगर और जुब्बल के बस अड्डों का निर्माण कार्य भी अगले वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

हिमाचल पथ परिवहन निगम को अगले वित्त वर्ष में सम्भावित वेतनमान संशोधन दायित्वों का सामना करना होगा। इसके लिए मैंने इस वर्ष के 48 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष में 60 करोड़ रुपये की गैर-योजना सहायता का प्रावधान किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम हेतु अगले वर्ष लगभग 120 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। जिसमें पिछले ऋण दायित्वों की अदायगी भी शामिल है।

जलापूर्ति

प्रत्येक घर के लिए स्वच्छ पेयजल का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी सरकार की हमेशा उच्च प्राथमिकता रही है। मैंने पिछले बजट में ग्रामीण जलापूर्ति परिव्यय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इससे पेयजल आपूर्ति में तेज़ी आई तथा लम्बे समय से अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने में हमें मदद मिली। हमारी पहल से 2000 हैण्डपम्प, विशेषकर राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थापित हुए, जिसको प्रदेश की जनता तथा जन-प्रतिनिधियों ने सराहा है। इन सभी प्रयासों को जारी रखने हेतु आगामी वर्ष में हमारी सरकार ने पेयजल आपूर्ति के लिए 182 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

वार्षिक योजना पर चर्चा के अनुरूप अगले वर्ष सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग चालू योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देगा। नये खर्चों के अन्तर्गत हमारी सरकार ग्रेवटी पेय जलापूर्ति योजनाओं, ट्यूबवैल तथा हैण्डपम्पों के निर्माण पर बल देती रहेगी। इस वर्ष के अन्त तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17,463 हैण्डपम्प स्थापित किए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले वर्ष के अन्त तक राज्य में स्थापित कुल हैण्डपम्पों की संख्या लगभग 20,000 हो जाए। अगले वर्ष में हम 172 करोड़ रुपये की सकल लागत से तीन मुख्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं भी आरम्भ करेंगे। इनसे बिलासपुर तथा कांगड़ा ज़िलों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों की 1171 बस्तियां लाभान्वित होंगी।

राजधानी क्षेत्र शिमला के लिए योजना आयोग तथा शहरी विकास मन्त्रालय ने पब्बर नदी ग्रेवटी जलापूर्ति योजना को बाह्य वित्त पोषण के लिए संस्तुत किया है। हमारी सरकार इस मामले पर ज़ोरदार अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल बजट को अंतिम रूप देते हुए।

समाज कल्याण

सभी माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले बजट में हमने अनुसूचित जाति उप-योजना को 231 करोड़ से बढ़ाकर 594 करोड़ रुपये किया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 2009-10 की योजना में इस राशि में 74 करोड़ की और वृद्धि करके कुल 668 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना प्रावधान से राज्य के सभी अनुसूचित जाति परिवार लाभान्वित होंगे तथा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्रों में चालू पूंजीगत कार्यों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ेगी।

सत्ता सम्भालते ही हमने वृद्धों, विधवाओं तथा विकलांगों की पेन्शन राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 200 रुपये से 300 रुपये प्रतिमास कर दिया था। पहली जनवरी, 2009 से हमने इस पेन्शन राशि में 10 प्रतिशत की और वृद्धि कर इसे 330 रुपये प्रतिमास कर दिया है। मेरे पिछले बजट आश्वासन के अनुरूप हमने गरीबी रेखा से नीचे सभी पात्र व्यक्तियों को प्रथम अप्रैल, 2008 से सामाजिक पेन्शन नेटवर्क में शामिल कर लिया है। इस प्रकार हमने लगभग 15,000 परिवारों को सामाजिक पैन्शन नेटवर्क में जोड़ा है। करीब 2.52 लाख परिवार अब सामाजिक सुरक्षा पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं, जो राज्य के हर पांच परिवारों में लगभग एक परिवार बनता है। हमारी सरकार अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेन्शन को 400 रुपये प्रतिमास करने के लिए वचनबद्ध है।

मैंने पिछले वर्ष 'मातृशक्ति बीमा योजना' के अन्तर्गत बीमा लाभों को दुगुना करके दुर्घटना में मृत्यु पर 50,000 रुपये व एक अंग की क्षति पर 25,000 रुपये किया था। समाज के सबसे गरीब तबके के प्रति हमारी वचनबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, इन बीमा लाभों को फिर से दुगुना करके, दुर्घटना में मृत्यु पर एक लाख रुपये तथा एक अंग की क्षति पर 50,000 रुपये किया गया है।

जन-जातीय विकास

जनजातीय क्षेत्र की जनता ने हमारी सरकार पर पूर्ण भरोसा जताया है। तत्कालीन प्रधान मन्त्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल पर रोहतांग सुरंग निर्माण परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह सुरंग लाहौल तथा पांगी क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा होगी। इस पहल को आगे बढ़ाने हेतु पिछली कांग्रेस सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ कोई गंभीर प्रयास नहीं किए और इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण कार्य को आरम्भ करने में 5 बहुमूल्य वर्ष ज़ाया हो गए। इस सुरंग के निर्माण कार्य को तेज़ी से आरम्भ करने का मामला हमारी सरकार केन्द्रीय रक्षा मन्त्रालय तथा सीमा सड़क संगठन के साथ लगातार उठा रही है। हमारे निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप सुरंग के निमार्ण की निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है। अगले वित्त वर्ष में जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत जनजातीय कल्याण हेतु 243 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गुणात्मक शिक्षा पर बल

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। इस उद्देश्य से हमने अपनी सरकार की 'ग्रामीण विद्या उपासक योजना' को फिर से आरम्भ करने का निर्णय लिया है। पंचायतों को नए प्राथमिक पाठशाला अध्यापक लगाने के लिए पर्याप्त अनुदान दिया जाएगा। हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान नियुक्त किए गए सभी पात्र ग्रामीण विद्या उपासक, 1 अप्रैल, 2009 से अनुबन्ध जे.बी.टी. अध्यापक बन जाएंगे।

राज्य में सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी पाठशालाओं को राष्ट्रव्यापी 'एन0सी0ई0आर0टी0' (NCERT) पाठ्यक्रम पद्धति अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इस से शिक्षा के मानक में एकरूपता आयेगी तथा कर्मचारियों को उनके स्थानान्तरण पर अपने बच्चों को नई पाठशालाओं में दाखिल करने में भी आसानी रहेगी।

अंग्रेजी भाषा कौशल, 'आई0टी0' शिक्षा तथा व्यक्तित्व विकास शिक्षित युवाओं के लिए बेहतर रोज़गार अवसरों की कुंजी है। इसलिए शिक्षा विभाग महाविद्यालय तथा विद्यालय स्तरों पर ऐसे कौशल विकास के लिए विशेष नीति तैयार करेगा।

सरकार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। राज्य में तीन निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। कम से कम 6-7 इसी प्रकार के और विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इस उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी सांझेदारी द्वारा 'अटल शिक्षा कुंज' नामक एक शैक्षणिक 'हब' बद्दी में 62 करोड़ की अनुमानित लागत से 554 बीघा ज़मीन पर बनाया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष में हमारी सरकार प्रत्येक ज़िले में भूमि बैंक चिन्हित करेगी जिन्हें ख्याति प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु उपलब्ध करवाया जा सके। इस प्रक्रिया से हम स्नातकों के लिए रोजगार की सम्भावनायें बढ़ाने का इरादा रखते हैं। वर्तमान बी0एड0 कॉलेजों को ज़्यादा तकनीकी पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार-परक प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

हमारी सरकार मण्डी में एक 'आई0आई0टी0', कांगड़ा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय व एक 'राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी' संस्थान की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार की सांझेदारी प्राप्त करने में सफल हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM) तथा एक भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (IIIT) खोलने के मामले पर हम केन्द्रीय सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में एक 'कॉलेज ऑफ एक्सीलैन्स' खोलने हेतु विशेष धन राशि प्रदान करने का मामला भी केन्द्र सरकार से उठाया जाएगा। ज़िला सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर तथा लाहौल स्पिति में चरणबद्ध तरीके से 5 बहुतकनीकी संस्थान खोले जाएंगे।

हमारी सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय की सहभागिता से बिलासपुर में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु केन्द्र सरकार को सहमत किया है, जिसमें विशेष रूप से जलविद्युत परियोजनाओं सम्बंधी शिक्षा प्रदान की जायेगी। मण्डी, ऊना, सोलन तथा हमीरपुर ज़िलों में मैडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु सार्वजनिक-निजी सांझेदारियां निष्पादित की जा रही हैं। निजी नर्सिंग कॉलजों तथा संस्थाओं को स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी जारी किए जा चुके हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत दाखिला दर के मुकाबले हिमाचल प्रदेश 20 प्रतिशत से अधिक की उच्चतम दाखिला दर प्राप्त कर चुका है। प्रदेश सरकार भविष्य में अधिकाधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा इस दाखिला दर को लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास करेगी ताकि हिमाचल प्रदेश को देश का अग्रणी शिक्षा हब बनाया जाए।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

सरकार अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार करेगी। हम चिकित्सकों तथा पैरा मैडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हर सम्भव कदम उठा रहे हैं। इस वर्ष रोगी कल्याण समितियों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 235 से 485 हो गयी है, जो राज्य में स्वास्थ्य संस्थाओं की कुल संख्या के 80 प्रतिशत से भी अधिक है। रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से भी संस्थाविशेष आधार पर डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं। इस वर्ष, आज तक 225 डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त 175 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरा जा रहा है। नर्सों के 262 पद भरे जा चुके हैं तथा पैरा मैडिकल स्टॉफ की शेष रिक्तियों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 300 आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को एक वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स करवाने की प्रक्रिया भी जारी है।

डॉक्टरों और पैरा मैडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत हमारी सरकार आई0जी0एम0सी0, शिमला में एम0बी0बी0एस0 सीटों को 65 से 100 तक बढ़वाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने हेतु टाण्डा मैडिकल कॉलेज और आई0जी0एम0सी0, शिमला में 20 'पोस्ट ग्रेज्युएट' सीटों में वृद्धि करवाई जा रही है। 2010 तक इन मैडिकल कॉलेजों में 'पोस्ट ग्रेज्युएट' सीटों की संख्या 83 हो जाएगी।

डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए, सोलन तथा पालमपुर में निजी मैडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से मण्डी में भी एक 'मल्टी स्पेशिएलिटी' अस्पताल तथा मैडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, जहां पर सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सार्वजनिक-निजी सांझेदारी से ऊना, मण्डी तथा हमीरपुर में और मैडिकल कॉलेज खोलने का विचार है। जिसके लिए करारनामें तैयार करने हेतु हमारी सरकार ने 'कंसलटेन्ट्स' नियुक्त किए हैं।

नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र में हम 12 बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज तथा 28 नर्सिंग स्कूल खोलने की आशा करते हैं। बडू साहिब, जिला सिरमौर में इस वर्ष निजी क्षेत्र में एक बी0एससी0 नर्सिंग कॉलेज खोला गया है।

इन प्रयासों से हम सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रशिक्षित स्टॉफ की कमी को पूरा करेंगे। इससे शिक्षित युवाओं के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के रोजगार अवसर भी खुलेंगे।

हमारी सरकार आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश के सभी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों हेतु एक बृहद स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ करेगी। सार्वजनिक-निजी सांझेदारी में हम बृहद आपात्काल चिकित्सा तथा 'ऐम्बुलेन्स' सेवाएं आरम्भ करने की सम्भावनाएं भी तलाशेंगे।

हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को वरिष्ठ नागरिकों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेद विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रत्येक मंगलवार को विशेष ओ0पी0डी0 सेवायें आरम्भ कर दी हैं। अन्य सभी स्वास्थ्य संस्थाएं भी वरिष्ठ नागरिकों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

टाण्डा मैडिकल कॉलेज में सुविधाओं को 'एम्स' (AIIMS) के बराबर स्तरोन्नत करने के लिए हम एक विशेष योजना आरम्भ करेंगे। इस उद्देश्य से, हमने इसी महीने भारत सरकार से 125 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त की है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, अगले वर्ष, प्रसूति तथा शिशु सेवाओं को कमला नेहरू अस्पताल से आई0जी0एम0सी0 में स्थानांतरित करने की सम्भावना भी तलाशी जाएगी।

पर्यटन विकास

पर्यटन आर्थिक विकास व रोज़गार उत्पन्न करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। 2009-10 में एक करोड़ से भी ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करना हमारा लक्ष्य रहेगा। इस के लिए पर्यटन विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर सुनिश्चित करेगा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरह, कम से कम 70 प्रतिशत निजी होटल 'इंटरनेट वेबसाईट' पर सूचना तथा 'ऑन लाईन' आरक्षण सुविधाएं प्रदान करें।

ग्रामीण 'होम स्टे पर्यटन योजना' हमारी सरकार द्वारा आरम्भ की जा चुकी है। इस के अन्तर्गत 'हब एण्ड स्पोक' व्यवसाय पद्धति प्रोत्साहित की जाएगी जिसमें शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौज़ी इत्यादि लोकप्रिय स्थलों में आये पर्यटकों को आसपास बसे धरोहर गांवों में ठहरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन विभाग 'होम स्टे योजना' के अन्तर्गत ऐसे स्थल-समूहों को सुसाध्य बनाने हेतु योजनाएं तैयार करेगा। पर्यटकों को पंचकर्म जैसी पर्यटन सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग आयुर्वेद विभाग का सहयोग लेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम विशेष 'इनोवेटिव टूरिज़्म पैकेज' तैयार करेगा, जिसमे 'ऑफ सीज़न' छूट दी जाएगी।

अगले वर्ष पर्यटन विभाग 5 सबसे अच्छे स्थलों को चिन्हित करेगा, जिनका नये पर्यटक स्थलों के रूप में विकास तथा विपणन किया जा सके।

पिछले बजट भाषण में मैंने इस मान्य सदन को सूचित किया था कि हमारी सरकार प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बाह्य वित्त पोषित परियोजना पर कार्य कर रही है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है और 'एशियन डवैल्पमैन्ट बैंक' ने प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए धन उपलब्ध करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति दे दी है। हमारी सरकार ने 350 करोड़ रुपये से अधिक की ढांचागत परियोजनाएं 'ए0डी0बी0' को वित्तीय सहायता हेतु भेजी हैं, जो 90 प्रतिशत अनुदान के आधार पर आएंगी। हमीरपुर में एक नया भारतीय होटल प्रबन्धन संस्थान तथा धर्मशाला में 'फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट' स्थापित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा इन संस्थानों के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ये संस्थान आतिथ्य क्षेत्र में रोज़गार प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष 400 युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक पर्यटन लोकप्रिय रहा है। धार्मिक पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने तथा उन्हें मंदिरों के आसपास पर्यटक स्थलों की ओर आकर्षित करने हेतु सम्बन्धित मंदिर प्रबन्धन समितियों के साथ विशेष नीति तैयार की जाएगी। परिवहन व पर्यटन विभाग प्रदेश के अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों में रेडियो तथा 'यूजर फ्रेन्डली' मीटर युक्त टैक्सी सेवाएं आरम्भ करेंगे।

पर्यावरण संरक्षण

सरकार 'इको-टूरीज्म' को वन विभाग तथा पर्यटन विभाग के बेहतर तालमेल से बढ़ावा देने हेतु हर सम्भव कदम उठा रही है। इस वर्ष राज्य वन निगम को 'इको-टूरीज्म' प्रोत्साहन संबंधी अतिरिक्त विकासात्मक एवं व्यावसायिक कार्य सौंपा गया है। इस वर्ष 5 'इको-टूरीज़्म सर्किटस' विकसित किए गए हैं तथा वन विभाग व राज्य वन निगम ऐसे और स्थलों को चिन्हित करेगा। लगभग 100 सरल तथा दुर्गम 'ट्रैकिंग' मार्ग चिन्हित किए जाएंगे जिनका प्रचार-प्रसार तथा दोहन टूर आपरेटरों तथा पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, वन विभाग व युवा सेवायें एवं खेल विभाग की websites के माध्यम से किया जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा व पर्यटन सम्भावनाओं के विकास के बीच एक पारस्परिक सम्बन्ध है। पर्यावरण विभाग ने राज्य के लिए विस्तृत 'पर्यावरण मास्टर प्लान' तैयार करने हेतु एक 'कंसलटेन्ट' नियुक्त किया है। यह प्लान सितम्बर, 2009 तक तैयार हो जायेगा। इसके उपरान्त हम 'एनवायरनमेन्ट फ्रेन्डली' कार्य योजना लागू करने हेतु नीतिगत कदम उठाएंगे।

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश को देश का पहला कार्बन-रहित राज्य बनाने के लिए पर्यावरण विभाग पहल कर चुका है। इस विश्वास के साथ कि किसी भी योजना में आम जनता की भागीदारी होना बहुत महत्त्वपूर्ण है, पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश में 'सामुदायिक पर्यावरण निर्धारण, जागृति, पक्ष समर्थन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन न्यूट्रेलिटी' कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर गैर- सरकारी संगठनों, स्कूलों, पर्यावरण सभाओं, महिला मण्डलों तथा पंचायत स्तर के सभी सामुदायिक केन्द्रों व अन्य धारकों के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जाएगा। यह स्वैच्छिक भावना से परिपूर्ण प्रयास होगा।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कोस्टा-रीका (Costa-Rica) देश के बाद, हिमाचल प्रदेश सरकार विश्व की दूसरी ऐसी सरकार है, जो पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन न्यूट्रेलिटी की दिशा में सतत् प्रयास कर रही है। हाल ही में TERI (The Energy and Resources Institute) द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में विश्व समुदाय द्वारा भी हिमाचल के इन प्रयासों को सराहा गया। हमारी सरकार द्वारा वायु तथा जल प्रदूषण, ठोस कचरा तथा मल-निकास प्रबन्धन, सड़कों तथा जल विद्युत परियोजनाओं के मलबे का निपटान, कूड़े-कचरे की 'रि-साईक्लिंग', 'बायोमैडिकल वेस्ट' इत्यादि महत्त्वपूर्ण पर्यावरण सम्बन्धी मामलों का निवारण किया जा रहा है।

सतलुज नदी घाटी में 4 जल विद्युत परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्र में तेजी से सुधार करने हेतु, विश्व बैंक विकास नीति सहायता के आधार पर, अगले वर्ष 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस समय वन विभाग द्वारा 21 'कैट प्लान' चलाए जा रहे हैं। अगले वर्ष में व्यापक पौध रोपण तथा भू-संरक्षण गतिविधियों के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक राशि का विशेष प्रावधान किया गया है।

(पृष्ठ 8 पर जारी)